

बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी


सूचना


दिनांक 19.03.2025

उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त पत्रांक I/888880/2025/16-3099/270/2024 दिनांक 21-02-2025 के क्रम में संस्थान के समस्त संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 और 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमों को कड़ाई से अनुपालन करने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अतः सभी से अपेक्षा की जाती है कि भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित दिशा-निर्देशों (संलग्नक) का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. डीन ऐकडेमिक को सूचनार्थ एवं सर्कुलेशन हेतु।
3. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं सर्कुलेशन हेतु।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं सर्कुलेशन हेतु।
5. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं सर्कुलेशन हेतु।
6. मुख्य अभिरक्षक/ सभी अभिरक्षक गण, छात्रों को सूचित करने हेतु।
7. प्रभारी वेबसाइट को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. मेडिकल ऑफिसर को सूचनार्थ एवं सर्कुलेशन हेतु।
9. समस्त सूचनापट्ट।


डा० मरेंद्र कुमार
प्रभारी
सांस्कृतिक उप परिषद्


प्रो० यशपाल सिंह
अध्यक्ष
छात्र क्रियाकलाप परिषद्

भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश

1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगो की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण/प्रयोग/संप्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा-निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:-

(क) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर के कपडे से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए या मशीन द्वारा निर्मित, सूती/पॉलिएस्टर/ऊनी/सिल्क/खादी के कपडे से बनाया गया हो।

(ख) जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाये।

(ग) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 20 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (xi) को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया:-

(xi) “जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है;”

(घ) राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3 : 2 होगा।

(ङ) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।

(च) फटा हुआ और मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाये।

(छ) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये।

(ज) संहिता के भाग-III की धारा-IX में उल्लिखित गणमान्यो जैसे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा।

(झ) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाना चाहिए।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।